



प्राचीन भारत में बौद्ध की लोकतांत्रिक व्यवस्था

डॉ. गजेन्द्र सिंह¹

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बावल

भूपेश²

शोद्यार्थी, इतिहास विभाग
कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्रा

छठी शताब्दी ई. पू. संसार में धर्मिक परिवर्तन का युग था। स्व. डॉ. राधकृष्णन ने लिखा है कि, “यह शताब्दी विश्व में अध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के लिए प्रसि(है¹।” प्रत्येक धर्म परिस्थितियों की ही उपज होता है। हर नई धर्मिक लहर के जन्म तथा विकास के लिए राजनैतिक, सामाजिक तथा अन्य कई कारण जिम्मेदार होते हैं। छठी शताब्दी ई. पू. में सारे विश्व में अशान्ति के बादल मंडरा रहे थे। बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपने—अपने राष्ट्रों में अन्धविश्वासों, जाति प्रथा के कठोर नियमों तथा धिस्मे—पिटे रीति—रिवाजों के विरु(जोरदार बगावत की तथा नये विचारों और सिन्नों का प्रचार किया। इस समय झूठे रीति—रिवाजों, महँगे यज्ञों तथा ब्राह्मणवाद के कारण साधरण वर्ग का जीना बहुत कठोर हो चुका था। इस बुराइयों को दूर करने के लिए चीन में कन्फ्रयूशियस, ईरान में जुरुथु, यूनान में परमानाईय तथा भारत में महावीर तथा महात्मा बु(जैसे धर्मिक नेता तथा सुधरक पैदा हुए। इन सुधरकों का प्रचार लोगों के लिए वरदान सि(हुआ। बौ(मत तथा जैनमत अपनी शिक्षाओं के कारण शीघ्रता से लोकप्रिय बन गए। बु(के काल में धर्मिक संघ² भारतीय समाज के एक सुपरिचित अंग थे तथा बु(का ख्यातिप्राप्त संघ एक नवीन न होकर विद्यमान संस्थाओं का विकासमात्रा था। अतः धर्मिक जीवन में प्राचीन भारतीयों की सामूहिक गतिविधियों को भलीभांति समझने में बौ(संघ का विस्तृत विवरण बहुत सहायक होगा, क्योंकि वह निस्सन्देह प्राचीन भारत के धर्मिक संघों का सबसे अधिक उन्नत रूप था³।

संघ की कार्य प्रति:-

संघ का संगठन एवं शासन प्रणाली जनतंत्रावादी⁴ के अनुसार था। सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को समान अधिकार प्राप्त थे। संघ को सभी सदस्य भिक्षु—भिक्षुणियों को अनुशासन में रखने की सत्ता थी और अनुशासन भंग करने वाली दोषी भिक्षु—भिक्षुणियों को दण्ड देने का अधिकार भी संघ को था। आरम्भ में भगवान् बु(का वचन ही कानून था तथा उनकी उच्चतम शक्ति संघ का प्रमुख निर्देशक तत्व थी। किन्तु प्रमुखतः दो कारणों से यह व्यवस्था

¹मिगलानी, के.एल., भारतीय इतिहास का प्राचीन तथा सल्तनतकाल, दिल्ली, पृ. 89।

²शर्मा एल.पी., प्राचीन भारत, आगरा, 2001, पृ. 107।

³मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 275।

⁴महावर्ग, 1.31, 40, 43, 42, 41, 44—45, 46, 47, 50, 61, 71द्व।

स्थायी नहीं हो सकती थी। पहली बात यह थी कि संघ का प्रसार देश के इतने विशाल भूभाग में हो गया था कि उसका एक मनुष्य के वैयक्तिक प्रशासन के अधीन रहना सम्भव नहीं रह गया था और दूसरी बात यह कि बु(की मृत्यु के पश्चात् भी संघ के निर्वाह की व्यवस्था करनी थी। अतः एक विशिष्ट संगठन शनैः—शनैः विकसित हुआ। यद्यपि उसके परिपक्व होने में दीर्घ काल लगा तथापि उसके विकास का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उपक्रम बु(के जीवनकाल में दृष्टिगत होता है।

गौतम बु(एकमात्रा नियमप्रवर्तकः—

किन्तु एक अर्थ में पुरातन व्यवस्था बनी रही। बु(अपनी मृत्यु के पश्चात् भी एकमात्रा नियमप्रवर्तक⁵ बने रहे। वस्तुतः बौ(संघ का यह एक मूलभूत सिंहता था कि धर्मप्रवर्तक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति संघ के लिए नियमों का निर्माण नहीं कर सकता था। अन्य लोग उसका स्पष्टीकरण और व्याख्या कर सकते थे, किन्तु उन्हें नवीन नियमों की रचना का अधिकार प्राप्त नहीं था।

स्थानीय संघ—केन्द्रीय संगठन का अभावः—

आरम्भ में बौ(संघ के दो भाग थे — भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के अनेक स्थानीय संघ और भगवान् बु(जो एक केन्द्रीय शक्ति के रूप में उनका नियमन करते थे। विभिन्न स्थानीय संघों के प्रतिनिधिभूत केन्द्रीय संगठन का पूर्णतः अभाव था।

स्थानीय संघों का अतिलोकतान्त्रिक संगठन⁶:-

स्थानीय संघों का प्रशासन वस्तुतः लोकतान्त्रिक सिंहतों पर आधिरित था। भिक्खुओं की साधरण सभा सर्वोच्च सत्तासम्पन्न संस्था थी तथा उसकी बैठकों की कार्यप्रणाली का विधन सूक्ष्म यथार्थता के साथ किया गया है।

साधरण सभा और उसका संगठनः—

पहली बात यह है कि किसी संघ के सभी पूर्णतः दीक्षित भिक्खु सभा के सदस्य थे। उनमें से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो किसी अपराद के लिए दिए गए दण्ड के कारण अयोग्य कार न दिया गया हो मतदान का अधिकार प्राप्त था। कोई भी बैठक तब तक वैध नहीं मानी जा सकती थी जब तक कि उसमें मतदान के अधिकारी सभी सदस्य उपस्थित न होते अथवा अनुपस्थित होने पर औपचारिक रूप में अपनी सहमति व्यक्त न कर देते⁷।

संघ की बैठकः—

संघ की सभायें लोकतंत्रा के नियमों के अनुसार होती थी। जितने भी भिक्षु एक गांव या नगर में निवास करते थे, उनकी बैठक प्रत्येक 15 दिन के बाद होती थी। उस सभी में भिक्षु अपना एक सभापति चुनते थे तथा इसी तरह से एक व्यक्ति धर्म की व्याख्या करने वाला तथा दूसरा अनुशासन सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया जाता था।

⁵प्राचीन भारतीय संस्कृति, पृ. 276–277।

⁶शर्मा के.जी., जैन एच.सी., भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, 2013, जपयपुर, पृ. 119।

⁷प्राचीन भारतीय संस्कृति, पृ. 277।

बैठकों में सदस्यों को ज्येष्ठता के आधर पर स्थान दिया जाता था⁸। प्रत्येक सदस्य का नियमानुसार समय से पहले बैठक की सूचना दी जाती थी। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। अगर इससे कम सदस्य उपस्थित होते थे तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। साधरणतयः यह संख्या दस थी। परन्तु महात्मा बु(ने सीमावर्ती इलाकों में जहां पर संघ के भिक्खुओं की संख्या कम होती था, गणपूर्ति दस के स्थान पर पाँच ;सभापति समेतद्व निश्चित कर दी थी। यह बड़े गौरव की बात है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतवासियों को आधुनिक गणपूर्ति का ज्ञान था।

कार्य के नियम:—

संघ की कार्यवाही पूर्ण अनुशासन से चलाई जाती थी। बैठक का सभापति जिसे संघ का मुखिया या विनयधरी⁹ कहा जाता था स्वयं मंच पर बैठता था तथा अन्य सदस्य उसके सामने नीचे बैठते थे। सभा के विधवत् एकत्रित हो चुकने पर प्रस्तावक उपस्थित भिक्खुओं को प्रथम उस प्रस्ताव की सूचना देता था जिसे वह प्रस्तुत करने वाला होता था। यह सूचना ‘×त्ति¹⁰’ कहलाती थी। ×त्ति के पश्चात् उपस्थित भिक्खुओं से पूछा जाता था कि वे प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं। यह प्रश्न ‘कम्मवाचा’¹¹ कहलाता था। प्रश्न एक बार अथवा तीन बार किया जाता था। प्रथम प्रकार ×त्तिदुतिय कम्म कहलाता था और द्वितीय प्रकार ×त्तिचतुर्थकम्म¹²। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले कार्यों के सम्बन्ध में सूक्ष्म नियमों का विधन किया गया है।

संघ के सामने प्रस्ताव के औपचारिक रूप से एक या तीन बार प्रस्तुत कर दिए जाने पर यदि उपस्थित सदस्य मौन रहते तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव के विरु(बोलता और सभा में मतभेद होता तो बहुमत का निर्णय माना जाता था। मत नियमित रूप से लिए जाते थे तथा इस प्रयोजन के लिए ‘सलाकागाहापक’¹³ संघ द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता था।

मतभेद सुलझाने का ढंग:—

साधरणतयः निर्णय सर्वसम्मति से किये जाते थे परन्तु कुछ मतभेदों का उत्पन्न होना लोकतन्त्रीय प्रणली में स्वाभाविक है। इन मतभेदों का शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयत्न किया जाता था। छोटे मोटे मतभेदों को सभापति अथवा किसी दूसरे वृ(व्यक्ति द्वारा सुलझा दिया जाता था। परन्तु यदि ऐसी अवस्था आ जाये जबकि संघ के सदस्य एक दूसरे से सहमत बिल्कुल न हों तो उस समय उस विषय को बड़े संघ में लाया जाता था, जहाँ पर उसका पफैसला प्रायः हो जाता था या पिफर संघ के कुछ सदस्यों की कमेटी ;उष्वाहिकाद्व बना दी जाती था, जोकि खूब सोच विचार करके अपना निर्णय देती थी¹⁴। बौ(ं की दूसरी महासभा में मतभेद हो गया था। उस मतभेद को सुलझाने के लिए 8 सदस्यों की एक समिति बनाई

⁸सै.बु.ई. 13, पृ. 178, टिप्पणी—1।

⁹गुप्त आर.के., प्राचीन भारत में समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, 2007, जयपुर, पृ. 194।

¹⁰महावग्ग 1, 38, 11।

¹¹महावग्ग 1, 38, 5-7।

¹²मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 281।

¹³जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, 1999, पटना, पृ. 820।

¹⁴गुप्त आर.के., प्राचीन भारत में समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, 2007, जयपुर, पृ. 194।

गई थी। यदि इन कमेटियों द्वारा भी मतभेद निर्णय न हो सके तो संघ की जनरल सभा को बुलाकर वोटों द्वारा बहुसंख्या¹⁵ का मत प्राप्त किया जा सकता था।

मतदान का ढंग:-

प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्रातापूर्वक मत दे सकता था। नूतनाभ्यास भिक्षु मत देने के अधिकार से वंचित थे। मतदान दो प्रकार के होते थे – ;1द्व गुप्त और ;2द्व प्रत्यक्ष। मत शलाकाओं द्वारा दिये जाते थे। ये शलाकाएँ भिन्न-भिन्न रंग की होती थीं और मतदान के हेतु ये सदस्यों में वितरित और संग्रहीत की जाती थीं। वोट कर्मचारी को 'सलाका ग्राहापक'¹⁶ कहा जाता था।

संघ जीवन:-

भिक्षु-भिक्षुणियों का जीवन संघ के नियमों एवं बु(के दस आदेशों द्वारा नियन्त्रित होता था। उन्हें व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने, पफूल-मालाएँ, सुवासित गन्धों का प्रयोग करने, मादक द्रव्यों का सेवन करने, मांसाहार करने एवं नृत्य या संगीत में भाग लेने का निषेध था। भिक्षुणि पीले रंग में रंगे हुए तीन¹⁷ वस्त्रा धरण करते थे – अन्तर्वसिक, उत्तर संग और संघाटित। भिक्षुणि भिक्षावृत्ति द्वारा अपना दैनिक भोजन प्राप्त करते थे और रात्रि में अध्ययन, धर्मिक विचार-विनियम और चिन्तमन-मनन करते थे। कुछ पवित्रा दिवसों के सारे भिक्षुणि एकत्रित होकर धर्म-चर्चा करते थे। इसे "उपोसथ"¹⁸ कहते थे। इसमें सम्मिलित होने के पहले प्रत्येक भिक्षु को अपने पूर्वकृत अपराधों को स्वतः स्वीकार करना पड़ता था। "उपोसथ" के समय भिक्षुणि उन विधिनिषेधों का भी पाठ करते हैं जो उनके लिए बनाये गये थे। संघ के नियमों के विरु(कार्य या आचरण करने वाले भिक्षु को दण्डित करने के लिए विस्तृत विधन था। संघ अपराधी भिक्षु का सामाजिक बहिष्कार या संघ बहिष्कार भी कर सकता था।

बौ(संघ का संगठन:-

1. **सदस्यता:-** प्रारम्भ में कोई भी व्यक्ति प्रवज्या ग्रहण कर भिक्षु या भिक्षुणी बन सकता था और संघ में प्रविष्ट हो सकता था। धीर-धीरे इस निस्सीम और अनुकृत अधिकार का दुरुपयोग हुआ और इससे संघ में अपरिपक्व अवस्था के तरुण, अज्ञानी और अनुशासनहीन व्यक्ति, जनता के दान से विलासमय जीवन व्यतीत करने के इच्छुक व्यक्ति, राजा के अत्याचारों और दण्ड से बचने के लिए डाकू हत्यारे, दृणी आदि भिक्षु बनकर संघ में प्रविष्ट हो जाते थे। उस समय ऐसी राजाज्ञा भी थी कि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी बौ(भिक्षु या भिक्षुणियों को हानि नहीं पहुँचायेगा। इससे अनके अवांछनीय व्यक्ति धर्म की भावना का ढोंग रच कर संघ में प्रविष्ट हो गये। कालान्तर में जब इसके दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हुए तब संघ में प्रवेश के लिए अधेलिखित नियम बना दिये गये। संघ का सदस्य होने के लिए कुछ योग्यताएँ निर्दिष्ट कर दी गयी। किन्तु इस सामान्य सिन्त के कुछ अपवाद थे तथा

¹⁵महावग्ग, 1, 31, 1, 1, 53, 4, 15, 3, 5 ।

¹⁶महावग्ग, 1, 25, 6 ।

¹⁷महावग्ग 1, 25 ।

¹⁸महावग्ग, 1, 27, 6-8 ।

निम्नलिखित वर्गों¹⁹ के व्यक्ति संघ की सदस्यता से वंचित थे। ;1द्व कुष्ठ, गण्ठ, सूखा कोढ़, शोष तथा अपरस्मार – इन पाँच रोगों से ग्रस्त। ;2द्व राजकीय सेवा में नियुक्त। ;3द्व उद्घोषित चोर अथवा कारागृह को भेदकर भागने वाला चोर, अथवा अपने कुकृत्यों के चिह्न धरण करने वाला चोर। ;4द्व कशाधात अथवा चिह्न के अंग द्वारा दण्डित। ;5द्व दृणी। ;6द्व दास। ;7द्व पन्द्रह वर्ष से कम आयु का बालक। ;8द्व क्लीब। ;9द्व विकृत शरीरवाला अथवा जिसका कोई अंग कटा हुआ हो।

स्त्रियाँ भी बौ(संघ में प्रविष्ट होकर उसकी सदस्या बन सकती थीं, पर उनके लिए अधेलिखित आठ²⁰ शर्तें थीं:

1. स्त्री भिक्षुणियों को अपने कर्तव्य भलीभाँति समझने चाहिए।
2. प्रत्येक पक्ष या अर्माह में उन्हें एक बार गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा लानी चाहिए।
3. वर्षा काल में उन स्थानों में जहाँ भिक्षु नहीं हो, निवास नहीं करना चाहिए।
4. उन्हें भिक्षुओं से इस प्रकार अलग रहना चाहिए जिससे कि भिक्षुगण न तो उन्हें और न उनके कार्यों को देख सकें और न उनकी बातों को सुन सकें।
5. वे भिक्षुओं से हिलमिल कर उन्हें विपथ न करें।
6. वे क्रोध, आवेश, अपशब्दता आदि पाप कर्मों से वंचित रहें।
7. प्रत्येक पखवाड़े में वे किसी भिक्षु के समुख बैठकर अपने पाप या बुरे कर्मों को र्खीकार करें।
8. प्रत्येक भिक्षुणी को चाहे वह कितनी ही वयोवृ(ही क्यों न हो, प्रत्येक भिक्षु को चाहे वह नवीन भिक्षु ही क्यों न हो, आदर, सम्मान और श्रा(से देखना चाहिए। भिक्षु के आगमन पर उन्हें खड़े होकर उसका अभिनन्दन करना चाहिए। बौ(संघ के इन आठ नियमों को बौ(भिक्षुणियाँ ने निबाहा और खमा, किसा गौतमी, विशाखा आदि अनेक विद्वान भिक्षुणियाँ प्रसि(हो गयीं।
2. **दीक्षा:**— उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत न आनेवाला व्यक्ति पब्ज्जा और उपसम्पदा नामक दीक्षाओं के द्वारा बौ(संघ में दीक्षित किया जा सकता था। जब कभी कोई स्त्री पुरुष संघ में प्रवेश पाने का इच्छुक होता था, तब उसे केश मुण्डन कर, पीले वस्त्रा धरण कर, स्थानीय संघ के सभापति या प्रधन के समुख बौ(धर्म व संघ के प्रति अधेलिखित शपथ²¹ ग्रहण करनी पड़ती थी।

बौ(शरणं गच्छामि ।
धर्मं शरणं गच्छामि ।
संघं शरणं गच्छामि ।

¹⁹महावग्ग, 1, 27 ।

²⁰प्राचीन भारतीय संस्कृति, पृ. 279 ।

²¹प्राचीन भारतीय संस्कृति, पृ. 279 ।

;कद्व उपसम्पदा दीक्षा:-— उपसम्पदा एक विशिष्ट क्रिया विधि होती थी जिसे सम्पादित करने का अधिकार भिक्खुओं का था। संघ में प्रवेश और दीक्षा की यह विधि सरल और सादी होती थी²²। आगे चलकर उपसम्पदा दीक्षा का स्थान एक अन्य प्रकार ने ले लिया। इस प्रति में उपज्ञाय²³ का, जो साधारण अथवा नवागन्तुक व्यक्ति को दीक्षा देता था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक ऐसा विद्वान् एवं समर्थ भिक्खु होना चाहिए जिसने उपसम्पदा के पश्चात् दस वर्ष व्यतीत कर लिए हों। दो प्रकार के व्यक्तियों को संघ की सदस्यता में औपचारिक रूप से दीक्षित होने के पूर्व अनुशासन की एक मध्यवर्ती अवस्था से होकर गुजरना पड़ता था। ये व्यक्ति इस प्रकार थे: ;1द्व जो पहले किसी बौद्ध सम्प्रदाय ;तिथियद्व के सदस्य रहे हों, और ;2द्व जिनकी आयु 15 और 20²⁴ वर्ष के बीच हों।

इनमें प्रथम को त्रिरत्न में शरण की उद्घोषणा करने पर संघ के एक औपचारिक कृत्य²⁵ द्वारा निश्चित चार मास के परीक्षाकाल ;परिवासद्व से होकर गुजरना पड़ता था। इस काल में यदि वह अपने चरित्रा और व्यवहार²⁶ से भिक्खुओं को सन्तुष्ट नहीं कर पाता तो उसे उपसम्पदा नहीं दी जाती थी।

;खद्व पब्ज्जा²⁷:— 15 और 20 वर्ष के बीच की आयु का व्यक्ति त्रिरत्नों में शरण लेने की घोषण कर केवल पब्ज्जा नामक दीक्षा प्राप्त कर सकता था, तथा उपसम्पदा के लिए उसे अपनी आयु के बीसवें वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस मध्यवर्ती काल में वह सामणेर²⁸ कहलाता था। उसे एक उपज्ञाय की अधीनता में कठोर अनुशासन का जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

3. **दशशीलः**— ये दस नियम बौद्धों के एक प्रकार के 'उपदेश दशक²⁹' के समान थे—
 1. मैं जीवधरियों को हानि पहुँचाने से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 2. मैं जो दिया नहीं गया है उसे ग्रहण करने से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 3. मैं आवेश में दुर्व्यवहार करने से घृणा का नियम स्वीकार करता हूँ।
 4. मैं मिथ्या भाषण से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 5. मैं 'सुरा', और 'मज्जा', जिनसे प्रमादोत्पत्ति होती है, से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 6. मैं निषि(कालों में भोजन करने से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 7. मैं नृत्य, गायन, संगीत, अभिनय से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 8. मैं हार, गन्ध लेप एवं रत्नाभरणों से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।
 9. मैं उफँची एवं विस्तृत शैया से घृणा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।

²²श्रीवास्तव के.सी., प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, 2001–02, इलाहाबाद, पृ. 854।

²³मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 281।

²⁴महावग्ग, 9, 3।

²⁵मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 295।

²⁶मिगलानी, के.ए.ल., भारतीय इतिहास का प्राचीन तथा सल्तनतकाल, दिल्ली, पृ. 98।

²⁷मिगलानी, के.ए.ल., भारतीय इतिहास का प्राचीन तथा सल्तनतकाल, दिल्ली, पृ. 98।

²⁸मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 267।

²⁹महावग्ग, 2, 23–25।

10. मैं स्वर्ण एवं रजत ग्रहण से घृगा करने का नियम स्वीकार करता हूँ।

अनुशासन काल – उपज्ञाय के साथ दस वर्ष का निवास :-

किसी व्यक्ति को इन नवीन विचारों और व्यवहार से अभ्यस्त करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। अतः यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक नए भिक्षु को प्रथम दस वर्ष तक पूर्णतः अपने उपज्ञाय अथवा आचरिय पर आश्रित रहना चाहिए³⁰ तथा उपज्ञाय को चाहिए कि वह साधारिक को अपने पुत्रा के समान समझे, साधारिक को उचित है कि वह अपने उपज्ञाय को पिता के समान समझे। इस प्रकार ये दोनों जीवन में परस्पर गौरव, विश्वास और सहयोग के साथ विचरण करते हुए धर्म और विनय में वृद्धि उन्नति तथा वैपुल्य को प्राप्त होंगे³¹।

साधारिक से उपज्ञाय के व्यक्तिगत सेवक के रूप में कार्य करने की आशा की जाती थी। “प्रातःकाल वह उसको दन्त-काष्ठ, मुखोदक तथा प्रातः भोजन देगा। भिक्षा के लिए जाते समय वह उसका अनुसरण करेगा, उसे पीने के लिए पानी देगा, उसके स्नान की तैयारी करेगा, उसके कपड़े सुखाएगा, उसका निवासस्थान स्वच्छ करेगा, इत्यादि, इत्यादि। “यदि संघ उपज्ञाय के विरु(तज्जनिय कम्म ,अथवा चुल्लवग्ग के प्रथम खन्धक ,अध्यायद्व्द में वर्णित अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाहीद्व्द करना चाहे, तो साधारिक को प्रयत्न करना चाहिए कि संघ उपज्ञाय के विरु(कार्यवाही न करे अथवा कार्यवाही की कठोरता को कम कर दे। अथवा यदि संघ ने उसके विरु(अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी है, तो साधारिक को प्रयत्न करना चाहिए कि उपज्ञाय सम्यक् व्यवहार करे, नप्रतापूर्वक रहे और अपने प्रायश्चित से मुक्त होने की इच्छा करे तथा संघ अपने दण्ड को वापस लेले³²।

उपज्ञाय के कर्तव्य:-

इसी प्रकार साधारिक के प्रति उपज्ञाय के भी कुछ कर्तव्य थे। उससे साधारिक के आध्यात्मिक एवं शारीरिक योगक्षेम का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार विनयपिटक में कहा गया है – ‘भिक्खुओ, उपज्ञाय को चाहिए कि वह उपदेश, परिपच्छा, शिक्षा तथा अनुशासन के माध्यम से साधारिक को ,आध्यात्मिकद्व सहयोग दे एवं उन्नति का मार्ग दिखाए। अनुचित व्यवहार³³ के लिए उपज्ञाय साधारिक को संघ से बाहर निकाल सकता थाऋ किन्तु यदि साधारिक क्षमा माँगता तो उसे क्षमा कर दिया जाता था³⁴। उपज्ञाय के दूर चले जाने, संसार को लौट जाने, मर जाने अथवा किसी विरोधी दल में सम्मिलित हो जाने पर साधारिकों को आचरिय का चुनाव करना पड़ता था। उनके साथ उसका वही सम्बन्ध होता था जो उपज्ञाय का।

बौ(संघ की विशिष्ट संस्थाएँ और धर्मिक कार्य:-

1. **नियमित सामयिक सभाएः—** प्रथम यह नियम बनाया³⁵ गया था कि भिक्खुओं को प्रत्येक पक्ष के आठवें, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन एकत्रित होकर धम्म का पाठ करना चाहिए। अन्तिम दो दिनों में से एक दिन उपोसथ कर्म होता था जिसमें

³⁰सै.बु.ई., जिल्द-13, पृ. 169, पाद टिप्पणी-2।

³¹चुल्लवग्ग, 4, 9।

³²चुल्लवग्ग, 12, 2-8।

³³चौधरी, राधकृष्ण, प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, 1989, पटना, पृ. 107।

³⁴जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, 1999, पटना, पृ. 823।

³⁵प्राचीन भारतीय संस्कृति, पृ. 277-278।

पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था³⁶। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था तथा इस कृत्य के समुचित रूप में संचालन के लिए विस्तृत नियमों का विधन किया गया था। किसी स्थान का सम्पूर्ण संघ एकत्रित होकर उपोसथ करता था। इस प्रयोजन के लिए स्थानीय प्रदेश की सीमाएँ संघ के एक औपचारिक कृत्य के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थीं³⁷।

2. **वर्षावास:**—वस्स अथवा वर्षा दृतु में भ्रमण त्याग कर एक निश्चित स्थान पर रहने की प्रथा एक अन्य संस्था थी जो बौ(भिक्खुओं) के मध्य सामूहिक भावना के विकास में सहायक हुई होगी। यह नियम था कि प्रति वर्ष आषाढ़ अथवा श्रावण पूर्णिमा के अग्रले दिन से आरम्भ कर वर्षादृतु के तीन मासों में भिक्खुओं को एक निश्चित स्थान पर रहना पड़ता था³⁸।
3. **पवारणा:**—वस्सावास के अन्त में एकत्रित भिक्खु पवारणा कर्म करते थे, जिसमें उपस्थित प्रत्येक भिक्खु संघ को अपने विरु(ऐसे किसी अपराध का आरोप लगाने के लिए आमन्त्रित करता था जिसके लिए वह उसे उत्तरदायी समझता हो—ऐसा अपराध जिसे उन्होंने देखा—सुना अथवा जिस पर सन्देह किया हो—जिससे वह उसका प्रायश्चित कर सकता³⁹।
4. **कठिन कर्म:**—पवारणा के तत्काल पश्चात् स्थानीय संघ के पास विद्यमान चीवर उसके सदस्यों में बॉट दिए जाते थे। यह ‘कठिन कर्म’ कहलाता था। ‘कठिन’ अक्षरार्थ ‘कठोर’द्वा का आशय उपासक—उपासिकाओं द्वारा प्रदत्त कपास की राशि से था जिससे आगामी वर्ष में संघ के उपयोग के लिए चीवर बनाए जाते थे। संघ के एक औपचारिक कृत्य द्वारा एक भिक्खु को इन वस्त्रों को रंगने और सीने का काम सौंपा जाता था। जब नवीन वस्त्रा पहिनने के लिए तैयार हो जाते थे तो वह एक वस्त्रा अपने लिए चुन लेता था और शेष वस्त्रा वहाँ उपस्थित भिक्खुओं को यह निर्देश करते हुए दिखलाता था कि उसकी दृष्टि में कौन—सा वस्त्रा संघ के प्रौढ़ सदस्यों के लिए उपयुक्त है और कौन—सा युवा भिक्खुओं के लिए। अन्त में वह संघ से अपने कार्य का औपचारिक रूप से अनुमोदन करने की प्रार्थना करता था। इस प्रकार की अनुमति प्राप्त होने पर भिक्खु अपने—अपने चीवर ले लेते थे और कठिन कर्म समाप्त हो जाता था⁴⁰।

बौ(संघ के पदाधिकारी:—

संघ की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघ के अधेलिखित पदाधिकारी⁴¹ होते थे:

³⁶मिलाओ, कर्न, मैन्युअल, पृ. 83।

³⁷मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 299—300।

³⁸शर्मा एल.पी., प्राचीन भारत, आगरा, 2001, पृ. 107।

³⁹महावग्ग, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2।

⁴⁰महावग्ग, 2, 12, 7।

⁴¹मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत में संघटित जीवन, 1966, सागर, पृ. 309।

- 1- नव कम्मिक ;विहार, भवन, कक्ष, दीवार, कूप आदि के निर्माण का अधिकारीद्व,
- 2- भण्डागारिक ;खाद्य सामग्री संग्रह करने का अधिकारीद्व,
- 3- कपियकारक ;संघ व विहार की विभिन्न सामाग्री क्रय करने का अधिकारद्व,
- 4- चीवर पतिगगाहपक ;वस्त्रागार का अधिकारीद्व,
- 5- आरामिक पुसक ;विश्राम और आराम की व्यवस्था करने वाला अधिकारीद्व।
- 6- पफलभाजक ;पफल, भात का मांड़, इत्यादि भोजन के पदार्थों के वितरकद्व।
- 7- सेनासनप्रापक।
- 8- चीवरपटिगगाहपक आदि।
- 9- चीवरभाजक⁴² आदि।

यह अधिकारी भिक्षुओं में से चुने जाते थे, और उनमें से सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही ये महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाते थे।

संघ का अपने सदस्यों पर अधिकारः—

स्थानीय संघ को अपने सदस्यों के उफपर व्यापक अधिकार⁴³ प्राप्त थे और वह उनको उनके अपराधों के लिए ;1द्व तज्जनिय कम्म ;भर्त्सनाद्व ;2द्व निर्साय कम्म ;संरक्षण में रखनाद्व, ;3द्व पब्जनिय कम्म ;निर्वासनद्व, ;4द्व पतिसरनिय कम्म ;उपासक—उपासिकाओं की क्षतिपूर्ति करनाद्व तथा ;5द्व उक्खेपनिय कम्म ;अस्थायी बहिष्कारद्व इत्यादि विविध दण्ड दे सकता था। इसके अतिरिक्त परीक्षाकाल ;परिवासद्व ओर प्रायश्चित ;मानत्तद्व की रीति भी प्रचलित थी। इन सब के उफपर था संघ का बहिष्कार। यह बौ(धर्मग्रन्थों में वर्णित उच्चतम दण्ड है।

निष्कर्षः—

बौ(संघों ने धर्म प्रचार का कार्य बड़े जोर—शोर से किया तथा उनके प्रयत्नों से बौ(धर्म एक छोटे से धर्म से विश्व का धर्म बन गया। लेकिन शनैः शनैः संघ का अनुशासन ढीला पड़ने लगा और भिक्षु तथा भिक्षुणियों का चरित्रा भी गिरने लगा। प्रारम्भ में ये सभी महात्मा बु(द्वारा बनाये गए दस आदेशों का पालन करते थे लेकिन कुछ समय बाद ये सभी नियम उनकों कठोर लगने लगे। कुछ भिक्षु इन आदेशों को बदल कर अपने जीवन में सुगमता लागना चाहते थे। लेकिन वैशाली की दूसरी महासभा में उनके प्रयत्न असपफल रहे और उनको निराशा का मुँह देखना पड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि बौ(धर्म में दो शाखाएँ — महायान तथा हीनयान बन गई। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने महात्मा बु(की शिक्षाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जबकि महायान शाखा वालों ने समयानुसार मूल शिक्षाओं में अनेक परिवर्तन कर दिय। उदाहरणतयः हिन्दू धर्म के कई सिंगतों जैसे मूर्ति पूजा, संस्कृत भाषा का प्रयोग, बु(को देवता मानना आदि को अपना लिया। इस प्रकार बौ(संघ में पफूट पड़ जाने से बौ(धर्म का हास होना शुरू हो गया।

⁴²शर्मा एल.पी., प्राचीन भारत, आगरा, 2001, पृ. 94 ।

⁴³सै.बु.ई., जिल्द—17, पृ. 148—152, पाद टिप्पणी ।

भिक्षु का दैनिक जीवन प्रधन रूप से अध्ययन अथवा धर्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था, किन्तु उससे यह आशा की जाती थी कि वह मठ के कार्य में भाग ले, अपने कक्ष को स्वच्छ करे, प्रांगण तथा मठ के भवनों को झाड़े। व्यस्क भिक्षु अपना अधिकांश समय नवाभ्यासियों को शिक्षा देने में लगाते थे। भिक्षु को आध्यात्मिक क्रियाओं में, ब्रह्म विहारद्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, जिनमें समौन पद्मासन मुद्रा में बैठकर वह बौ(धर्म केचार प्रधन सदाचार – प्रेम, दया, हर्ष, निर्मलता को अपने मन में लाने का प्रयत्न किया करता और समस्त जीवधरियों को इन्हीं गुणों के प्रकाश में देखने का प्रयत्न करता था जिसके अंतर्गत समस्त घृणा, सांसारिक भय और अस्थि—मांस तन माने जाते थे। जो लोग धर्मिकता में अधिक अग्रस्थ थे उनके लिए कठिन प्रकार के तप थे जो भिक्षु को निर्वाण—प्राप्ति के अधिक समीप ला देते थे।